न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री राजेन्द्र विजय आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 10/2014

बउनवान

सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां जिला–बारां **(प्रार्थी)**

बनाम

1–श्री अमरलाल
2–श्री गिर्राज
3–श्री चतरभुज पिसरान रघुनाथ
4–कंचन बाई
5–पारवती बाई पुत्रियां रघुनाथ कौम तेली निवासी ग्राम–फतेहपुर तहसील–बारां जिला–बारां **(अप्रार्थीगण)**

जिला कलेक्टर न्यायालय बारां (राज0)

रेफरेन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–82 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. पेरोकार सरकार **(प्रार्थी)**
2. श्री योगेश गुर्जर, अभिभाषक **(अप्रार्थीगण)**

आदेश दिनांक– 25.11.2021

1– प्रार्थी सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां ने रेफरेंन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्व अप्रार्थीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वर्तमान में अप्रार्थीगण के खाते विवादित आराजी ख0नं0 353 रकबा 0.08 है., ख0नं0 360 रकबा 1.27 है0, ख0 नं0 844 रकबा 0.30 है0, ख0नं0 847 रकबा 0.39 है. एवं ख0नं0 851 रकबा 0.15 है. किता 5 रकबा 1.19 है0 किस्म नहरी II एवं नहरी I वाके ग्राम फतेहपुर तहसील–बारां राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2064–67 खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजीयात में से आराजी ख0नं0 851 रकबा 0.15 है. के सेटलमेंट संवत् 2015–24 में साबिक खसरा नम्बर 464 रकबा 3 बीधा 1 बिस्वा किस्म गै.मु. तलाई रहे है। ख0नं0 851 रकबा 0.15 है. आराजी सम्वत् 2038–57 जमाबन्दी में गैर खातेदार रघुनाथ वल्द धूलीलाल कौम तेली सा0 देह के गैर खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजी खसरा नम्बर 464 रकबा 3 बीधा 1 बिस्वा सेटलमेंट [illegible] 15–24 में गै.मु.तलाई दर्ज है। जिसका आवंटन/नियमन रघुनाथ वल्द धूलीला[illegible] को किया गया है। उक्त आराजी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 [illegible] 16 के अन्तर्गत प्रतिबन्धित भूमि है। इसलिये रघुनाथ वल्द धूली[illegible] किया गया आवंटन/[illegible]न नियम विरूद्व है। प्रकरण अब्दुल रहमान बनाम सरकार में [illegible]ननीय राजस्थान उच्च [illegible]यालय, जयपुर में डी.बी.रिट संख्या 1536/2003 निर्णय दिनांक 02.08.2004 में भी ऐसी भूमि के आवंटनों को विधि विरूद्व मानते हुए आवंटन निरस्त किये जाने के निर्देश दिये है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.02.02 12:33:56 IST
Reason: SelfAttested

अतः उक्त आवंटन/नियमन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा–16 के तहत अवैधानिक है तथा डी0बी0 सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल

रहमान बनाम सरकार में माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के निर्णय दिनांक 2.8.2004 अनुसार ऐसी आराजी को पूर्ववत दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः आवंटन/नियमन निरस्त किया जाकर, भूमि को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

2— प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से अभिभाषक उपस्थित हुये तथा दिनांक 21.05.2015 को जवाब रेफरेंस पेश किया गया।

3— अप्रार्थीगण अभिभाषक ने अपने जवाब में लिखा है कि उक्त आराजी लम्बे समय से कब्जा काश्त के आधार पर प्रार्थीगण के पिता रघुनाथ राठौर निवासी फतेहपुर को आवंटित की गयी थी, जिस पर प्रार्थीगण का निरंतर कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त खसरा नंबरान की आराजी पर काफी पैसों की लागत से भूमि को समतल व उपजाउ बनाया है। अतः निवेदन है कि प्रार्थीगण के विरूद्ध की गयी कार्यवाही निरस्त फरमावें।

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

4— प्रकरण में अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थनापत्र प्राप्त होने पर बहस विद्वान पेरोकार सरकार व अप्रार्थीगण के अभिभाषक की सुनी गयी।

5— बहस के दौरान पेरोकार सरकार ने प्रार्थनापत्र के समर्थन में निवेदन किया कि अप्रार्थीगण के पिता रघुनाथ वल्द धूलीलाल कौम तेली को ग्राम फतेहपुर की आराजी साबिक खसरा नम्बर 464 रकबा 3 बीधा 1 बिस्वा किस्म गै.मु.तलाई में से भूमि आवंटित/नियमन हुयी थी। जिस वक्त भूमि आवंटित/नियमन हुयी है उस वक्त विवादित आराजी की किस्म गै.मु.तलाई थी, जो आवंटन योग्य भूमि नहीं थी। विवादित आराजी के बाद सेटलमेंट ख0नं0 851 रकबा 0.15 है. बने है जो वर्तमान में अप्रार्थीगण के खाते दर्ज है। जिसकी किस्म नहरी । दर्ज है। यह भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा—16 के अन्तर्गत आवंटन/नियमन योग्य उपलब्ध नहीं थी। रघुनाथ वल्द धूलीलाल कौम तेली को उक्त आवंटन/नियमन नियम विरूद्व हुआ है। ऐसे नियम विरूद्व आंवटन/नियमन प्रारम्भतः ही शून्य है, जिसे किसी भी दशा में मान्यता नहीं दी जा सकती। वादग्रस्त आराजी के संबंध में जितनी भी कार्यवाहियॉ हुई है, वह निरस्त योग्य है। डी0बी0सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.08.2004 अनुसार भी ऐसी आराजी को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये है। माननीय न्यायालय के निर्णयानुसार उक्त नियमन को निरस्त किया जाकर, पूर्ववत आवंटित आराजी को गै.मु.तलाई दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी तहसीलदार, बारां द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थनापत्र धारा—82 भू राजस्व अधिनियम,1956 को स्वीकार किया जाकर, रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को अग्रेषित किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.02.02 12:33:56 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

6— बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने पेरोकार सरकार के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि उक्त आराजी लम्बे समय से कब्जा काश्त के आधार पर प्रार्थीगण के पिता रघुनाथ राठौर निवासी फतेहपुर को भूमिहीन कृषक होने से आवंटित की गयी थी, जिस पर प्रार्थीगण का निरंतर कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त आराजी उबड़ खाबड़ थी जिसे अप्रार्थीगण ने काफी मेहनत एवं पैसों की लागत से समतल व उपजाउ बनाया है। आवंटन तिथि के पूर्व से ही अप्रार्थीगण के पिता व उनके बाद से अप्रार्थीगण उक्त आराजी को काश्त कर परिवार का पालन पोषण करते आ रहे है। उक्त आराजी के बाद सेटलमेंट नये नम्बर ख0नं0 851 रकबा 0.15 है0 बने है जो वर्तमान में सम्वत् 2064—67 जमाबन्दी अनुसार अप्रार्थीगण के खाते दर्ज है। आवंटित आराजी पर अप्रार्थीगण को खातेदारी मिल चुकी है।

साथ ही निवेदन किया कि तहसीलदार, बारां द्वारा 60 वर्ष पश्चात् अब्दुल रहमान बनाम सरकार रिट में पारित आदेश दिनांक 2.8.2004 के आधार पर उक्त आवंटन/नियमन को निरस्त किये जाने हेतु रेफरेन्स प्रस्तुत किया गया है जबकि उक्त आवंटन सरकार द्वारा किया गया है जिसमें स्टेट की ओर से तहसीलदार द्वारा रिप्रजेन्ट किया गया है। इसलिये तहसीलदार को उक्त कार्यवाहीं प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है। रघुनाथ पुत्र धूलीलाल कौम तेली को उक्त आराजीयात् का विधि सम्मत व प्रकिया के तहत आवंटन/नियमन हुआ है जो वर्तमान में अप्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज है जिसे निरस्त नहीं किया जा सकता। इसलिये रेफरेन्स प्रार्थनापत्र निरस्त फरमाया जावे।

7— हमने पेरोकार सरकार व अप्रार्थीगण अभिभाषक की बहस को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि सेटलमेंट पूर्व जमाबन्दी सम्वत् 2015—24 अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 464 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा किस्म गै.मु.तलाई खाता सरकार दर्ज है। जिसमें से आराजी ख0नंण्0 मि. 464 रकबा 1 बीघा रघुनाथ पुत्र धूलीलाल कौम तेली को आवंटन/नियमन किया गया है। उक्त आराजी के बाद सेटलमेंट नये खसरा नम्बर 851 रकबा 0.15 है0 किस्म नहरी I बने है, जो वर्तमान में अप्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज है। इस प्रकार रघुनाथ पुत्र धूलीलाल कौम तेली को जिस वक्त भूमि आवंटित/नियमन की गयी थी उस वक्त विवादित आराजी गै.मु. तलाई खाता सरकार दर्ज थी, जो आवंटन योग्य भूमि नहीं थी। रघुनाथ पुत्र धूलीलाल कौम तेली को उक्त आराजी का आवंटन/नियमन नियम विरूद्व हुआ है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.02.02 12:33:56 IST
Reason: SelfAttested

8— अतः उपरोक्त विवेचना अनुसार स्पष्ट है कि रघुनाथ पुत्र धूलीलाल कौम तेली को आवंटित आराजी खसरा नम्बर 464 रकबा 1 बीघा सेटलमेंट पूर्व सम्वत 2015—24 में ख0नं0 464 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा किस्म गै.मु. तलाई खाता सरकार दर्ज थी। उक्त आराजी के बाद सेटलमेंट खसरा नम्बर 851 रकबा 0.15 है. किस्म नहरी I बने है। उक्त आराजी वास्तविक रूप से सेटलमेंट पूर्व किस्म गै.मु. तलाई दर्ज थी जिसका आवंटन/नियमन रघुनाथ पुत्र धूलीलाल कौम तेली को विधि विरूद्व हुआ है तथा माननीय

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा डी0बी0 सिविल रिट जनहित याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 2.8.2004 में ऐसी आराज़ी को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये है। इसलिये हम उक्त आवंटन/नियमन को विधि विरूद्व मानते हुए, आवंटन निरस्त करने के लिये रेफरेंन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अग्रेषित किया जाना उचित समझते है।

9— परिणास्वरूप, प्रार्थी जर्ये तहसीलदार, बारां का रेफरेन्स प्रार्थनापत्र स्वीकार कर, अप्रार्थीगण के वर्तमान में वाके ग्राम फतेहपुर में दर्ज आराजी खसरा नम्बर 851 रकबा 0.15 है. किस्म नहरी I, जो मूल रूप से सेटलमेंट पूर्व साबिक खसरा नम्बर 464 रकबा 3 बीधा 2 बिस्वा किस्म गै.मु.तलाई से बना है जिसका रघुनाथ पुत्र धूलीलाल कौम तेली को गलत रूप से आवंटन/नियमन हुआ है, आवंटन/नियमन निरस्त किये जाने हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956 की धारा—82 के अन्तर्गत रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में प्रेषित किया जावे। इस हेतु तहसीलदार बारां को आदेश दिये जाते है कि इस न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त कर, माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में राजकीय अधिवक्ता से सम्पर्क कर, अन्दर मियाद रेफरेंस प्रस्तुत करे तथा सावचेत होकर प्रकरण में पैरवी सुनिश्चित करे।

10— तहसीलदार, बारां को यह भी निर्देश दिये जाते है कि प्रश्नगत आवंटित/नियमन आराजी जो वर्तमान में अप्रार्थीगण के खाते में दर्ज है। जमाबन्दी खाते पर रेफरेंन्स होने का नोट लाल स्याहीं से राजस्व रेकार्ड में अंकित करें। अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाता है कि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के निर्णय होने तक, वर्णित आराजी खसरा नम्बर 851 रकबा 0.15 है. किस्म नहरी I वाके ग्राम फतेहपुर तहसील—बारां की यथास्थिति बनाये रखें। इस आराजी को रहन, बेचान, हस्तान्तरण व खुर्द—बुर्द नहीं करे।

आदेश आज दिनांक 25.11.2021 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज.)

(राजेन्द्र विजय)
जिला कलक्टर
जिला कलक्टर, बारां
बारां (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.02.02 12:33:56 IST
Reason: SelfAttested